निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

173—भीम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री सुदर्शन सिंह रावत,

ग्राम - नन्दावट, तहसील भीम जिला राजसमन्द

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान :बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. काकरोली (राजसमन्द)

दिनांक : 11/12/2018

(सुरेश कुमार चावला) रिटर्निंग अधिकारी 173–भीम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम

Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)
Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From **173-BHIM** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that:-

Shri Sudarshan Singh Rawat

GRAM - NANDAWAT, TEHSIL BHIM, DISTRICT - RAJSAMAND

Sponsored by Indian National Congress

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency

Place: Shri Balkrishna Vidhyabhavan Govt. Adarsh Sr. Sec. School, Kankroli (Rajsamand)

Date : 11/12/2018

(SURESH KUMAR CHAWLA)
Returning Officer
173-BHIM Assembly Constituency
Subdivisional Magistrate & Sub divisional Officer BHIM